राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019

(सहकारी मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफी सम्बन्धी दिशा–निर्देश)

1. योजना का दायरा :–

1.1 इस योजना में प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक (जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप में ''सहकारी बैंक'' सम्बोधित किया जावेगा) के ऐसे सभी लघु एवं सीमान्त कृषक शामिल है, जिनका कृषि ऋण दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है।

1.2 इस योजना के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के अवधिपार कृषि ऋण खातों में दिनांक 30.11.2018 को बकाया मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ किया जावेगा।

1.3 प्रथम चरण में उन पात्र खातों मे ऋण माफी की जा रही है, जिनमें अवधिपार राशि रू. 2.00 लाख से कम है।

1.4 सभी प्राथमिक बैंकों द्वारा पात्र कृषकों की सूचना निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट –1)** में तैयार की जानी होगी।

2. परिभाषायें :–

2.1 ''सीमान्त कृषक से तात्पर्य एक हैक्टेयर तक भूमि पर खेती करने वाला कृषक से है।

2.2 ''लघु कृषक से तात्पर्य एक हैक्टेयर से अधिक तथा दो हैक्टेयर तक की भूमि पर खेती करने वाले कृषक से हैं।

3. पात्रता का निर्धारण :–

3.1 सहकारी बैंक की पुस्तकों में कृषक लघु एवं सीमान्त की श्रेणी में वर्गीकृत हो,

3.2 कृषक द्वारा सहकारी बैंक से मध्यमकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण लिया हुआ हो, जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हो,

3.3 यदि कृषक का अल्पकालीन फसली ऋण माफ हो रहा है तो ऐसे कृषक मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण माफी के भी पात्र होंगे।

3.4 लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक द्वारा लिये गये ऐसे कृषि ऋण, जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार नहीं हैं, इस योजनान्तर्गत माफी हेतु पात्र नहीं होंगे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

3.5 कृषक के पास आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य है। यदि कृषक के पास उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा नजदीकी आधार केन्द्र में जाकर आधार का पंजीयन करवाना होगा, इस पंजीयन की आई.डी. नम्बर सहकारी बैंक की शाखा में उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही कृषक को योजनान्तर्गत ऋण माफी से लाभान्वित किया जा सकेगा। बैंक द्वारा ऋणी से उक्त दस्तावेज प्राप्त कर रिकॉर्ड में रखना होगा। **सहकारी बैंक द्वारा ऋणी का आधार सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।**

3.6 कृषि ऋण के अतिरिक्त ऋण यथा अकृषि उद्वेश्यों एवं ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वितरित ऋण इस योजनान्तर्गत माफी हेतु पात्र नहीं होंगे।

3.7 लघु एवं सीमान्त किसानों की तरफ अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण इस योजनान्तर्गत माफी हेतु पात्र नहीं होंगे।

3.8 **अपात्र संवर्ग :–** लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक, जिनका दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को कृषि ऋण अवधिपार है, परन्तु यदि ये **परिशिष्ट–2** पर उल्लेखित संवर्गों में से है तो ऐसे कृषक इस योजनान्तर्गत माफी के पात्र नहीं होंगे –

सभी पात्र कृषकों द्वारा इस सम्बन्ध में **स्वप्रमाणित शपथ पत्र (परिशिष्ट – 3 के अनुसार) ऑनलाईन स्वीकार किया जायेगा।**

राज्य के कृषकों के व्यापक हितों के आलोक में वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.06.2018 से राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन शपथ पत्र पर प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क से उन्मुक्ति दिनांक 31.05.2018 से प्रदान की गई है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी कृषकों को यह सावचेत किया जावे कि मिथ्यापूर्ण कथन करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468 के तहत संज्ञेय अपराध है एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 99 एवं 100 के अन्तर्गत गलत रूप से प्राप्त की गई माफी की रशि बैंक वसूल करने के लिये अधिकृत होगा।

4. विभिन्न प्रकार के केसेज् में प्रावधान :–

4.1 संयुक्त ऋण :– यदि किसी संयुक्त कृषि ऋण खातें में कुछ कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के तथा शेष कृषक अन्य श्रेणी/अपात्र संवर्ग के हो एवं यह ऋण दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हो तो ऐसे संयुक्त ऋण खातें भी योजनानुसार माफी के पात्र होंगे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

4.2 **मृतक केसेज्** :– यदि ऋण माफी हेतु पात्र ऋण खातें में ऋणी की मृत्यू हो चुकी है तो खातें में योजनानुसार ऋण माफ किया जावेगा। ऐसे केसेज् में मृतक ऋणी के विधिक वारिसान द्वारा मृतक ऋणी का सक्षम अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र सहकारी बैंक में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा। ऐसे केसेज् में वारिसान/नॉमिनी के आधार नम्बर की अनिवार्यता रहेगी।

4.3 **पलायन (निष्क्रमण) केसेज्** :– यदि कोई पात्र कृषक राज्य से बाहर पलायन (निष्क्रमण) पर है तो ऐसे मामलों में ऋणी सदस्य के स्थाई पलायन के सम्बन्ध में पुष्टि हेतु हलका पटवारी एवं ग्राम सेवक के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जिससे यह प्रतिपादित होता हो कि संबंधित ऋणी पूर्व में इस क्षेत्र में अधिवास करता था/भूमिधारक था, किंतु अब क्षेत्र से स्थाई रूप से पलायन कर गया है। ऐसे केसेज् में भी योजनानुसार ऋण माफ किया जावेगा।

4.4 सहकारी सोसायटी एक्ट में विचाराधीन ऋण खातें :– ऐसे पात्र ऋण खातें, जिनमें सहकारी सोसायटी एक्ट के विभिन्न अधिनियमों के अधीन कार्यवाही चल रही है तथा भूमि की नीलामी नहीं हुई है अथवा धारा 103 के अन्तर्गत भूमि बैंक के पक्ष में क्रय कर ली गई है, इस योजनान्तर्गत माफी के पात्र होंगे।

5. ऋण माफी राशि :–

5.1 **प्रथम चरण में उन पात्र कृषकों का ऋण माफ किया जावेगा, जिनकी तरफ अवधिपार राशि रू. 2.00 लाख से कम है।**

5.2 प्रथम चरण में पात्र ऋण खातों में दिनांक 30.11.2018 को बकाया समस्त ऋण माफ किया जाकर उनकी भूमि रहनमुक्त की जावेगी। इस ऋण माफी में निम्न शामिल होंगे –

- मूलधन बकाया **(Principal Outstanding),**
- अवधिपार ब्याज **(Overdue Interest),**
- दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक का चालू ब्याज **(Current Interest)** तथा
- बकाया शास्तियां **(Penalty i.e. Penal Int., Rec. Charges etc)**

5.3 बिंदु सं. 5.2 में उल्लेखित ऋण माफी राशि में से समस्त मूलधन एवं 50 प्रतिशत ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी जबकि शेष 50 प्रतिशत ब्याज एवं 100 प्रतिशत द. ब्याज सम्बन्धित सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जावेगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

6. क्रियान्वयन :–

6.1 इस योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण, जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, शामिल हैं।

6.2 सहकारी बैंकों की शाखा द्वारा पात्र कृषकों की सूचना निर्धारित प्रपत्र (Excell Sheet) में तैयार की जावेगी।

6.3 तैयार सूचियों का सत्यापन शाखा के भूमि मूल्यांकन अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा सचिव/शाखा प्रबंधक एवं सचिव/प्रबंध निदेशक द्वारा किया जावेगा।

6.4 शाखाओं द्वारा इन सत्यापित ऋणियों की सूची अपने प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

6.5 सभी शाखाओं से प्राप्त इन सत्यापित सूचियों का परीक्षण निम्न जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा –

1.	सचिव /प्रबंध निदेशक, सहकारी बैंक	– समन्वयक
2.	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	– सदस्य
3.	विशेष लेखा परीक्षक	– सदस्य
4.	सम्बन्धित शाखा सचिव/शाखा प्रबंधक	– सदस्य सचिव

6.6 जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षित सूचियां सहकारी बैंक की सम्बन्धित शाखा एवं सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।

6.7 यदि किसी कृषक को लगता है कि वो ऋण माफी का पात्र है, परन्तु उसका नाम इस सूची में नहीं है तो उसके द्वारा सूची चस्पा के 3 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में सम्बन्धित सहकारी बैंक में की जावेगी, जिसका निस्तारण जिला स्तर पर गठित **परिवेदना निवारण समिति** द्वारा अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जावेगा –

- **जिला कलेक्टर** या मनोनित प्रतिनिधी जो अति. जिला कलेक्टर स्तर का होगा – अध्यक्ष
- उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, – सदस्य
- सचिव/प्रबंध निदेशक, सहकारी बैंक – सदस्य सचिव

इस परिवेदना निवारण समिति की सूचना सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा एवं पंचायत समिति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी।

6.8 पात्रताधारक ऋणी कृषकों की अन्तिम सूची (यदि पूर्व की सूची में संशोधन हो) पुनः नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।

6.9 अन्तिम सूची के आधार पर सहकारी बैंकों द्वारा ऋण माफी एवं रहनमुक्ति प्रमाण पत्र तैयार किये जावेंगे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

6.10 ऋण माफी एवं रहनमुक्ति प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद सहकारी बैंक द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किये जावेंगे, जिनके प्रभारी शाखा सचिव/शाखा प्रबंधक होंगे।

6.11 इन शिविरों में कृषकों को ऋण माफी एवं रहनमुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किये जावेंगे।

6.12 शाखाओं द्वारा ऋण माफी एवं रहनमुक्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर सम्बन्धित कृषकों के ऋण खातें में ऋण माफी राशि की प्रविष्टि की जावेगी तथा शाखा की लेखा पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां की जावेगी।

6.13 लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि उपरान्त शाखा द्वारा ऋण माफी के क्लेम तैयार कर अपने प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किये जावेंगे।

6.14 सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा सभी शाखाओं से प्राप्त क्लेम को इकजाई कर क्लेम अपने शीर्ष बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे।

6.15 शीर्ष बैंक द्वारा सभी सहकारी बैंकों से ऋण माफी क्लेम प्राप्त कर इकजाई क्लेम राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगे।

6.16 सहकारी बैंक की शाखा द्वारा सभी ऋणियों की Excell Sheet में तैयार सूची DOIT&C द्वारा तैयार ऋण माफी पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन किया जाकर अपलोड की जावेगी।

6.17 सूची अपलोड होने के पश्चात् शाखाओं द्वारा इन खातों को पोर्टल पर वैलिडेट किया जावेगा तथा रिपोर्ट जनित की जावेंगी। इस रिपोर्ट पर बिंदु सं 6.3 के अनुसार सबन्धित अधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जावेंगे।

6.18 अब सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा ऋण माफी पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन किया जाकर शाखाओं द्वारा वैलिडेट की गई सूची के सभी किसानों के ऋण माफी प्रमाण पत्र बनाये जावेंगे, जो डाटाबेस पर सुरक्षित रहेंगे।

6.19 बिंदु सं. 6.3 पर Excel sheet की सत्यापित सूची एवं बिंदु सं. 6.17 पर सॉफट्वेयर से जनित एवं हस्ताक्षरित सूची सहकारी बैंक की शाखा एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर सुरक्षित रखी जावेगी।

7. ब्याज एवं अन्य प्रभार :–

7.1 ऋण माफी की राशि को बैंक की लेखा पुस्तकों में दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को Receivable from Govt. मद में दर्शाया जावेगा तथा इस दिनांक से राज्य सरकार से ऋण माफी की राशि प्राप्त होने की दिनांक तक की अवधि का ब्याज राज्य सरकार से 8 प्रतिशत की ब्याज दर से प्राप्त किया जावेगा। यदि बैंकों द्वारा ऋण की लागत 8 प्रतिशत अधिक आती है तो उसकी पृथक से राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

8. शिविरों का आयोजन :–

8.1 शिविरों का आयोजन सहकारी बैंक की शाखा परिसर में किया जावेगा, जिनमें पात्र कृषकों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये जावेंगे।

8.2 इन शिविरों में सहकारी बैंकों के सचिव/प्रबंध निदेशक, सम्बन्धित शाखा के शाखा सचिव/शाखा प्रबंधक, भूमि मूल्यांकन अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, बैंक के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जावेगा।

8.3 ऋण माफी शिविरों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावेगा तथा इन शिविरों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

8.4 इन शिविरों का जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी एवं खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा पर्यवेक्षण किया जावेगा।

9. लेखा प्रविष्टि :–

9.1 लेखा प्रविष्टियों का आधार समिति पुस्तकें एवं योजना के बिंदु सं. 6 क्रियान्वयन के उपबिंदु 6.3 के अनुसार सत्यापित सूचियां होंगी।

9.2 प्रविष्टियां सहकारी बैंक की शाखा स्तर से प्रारम्भ मानी जावेगी। तत्पश्चात् सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय स्तर पर एवं अन्त में शीर्ष बैंक स्तर पर की जावेगी।

9.3 राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम अनुमानित ऋण माफी राशि शीर्ष बैंकों को उपलब्ध करवाई जावेगी। शीर्ष बैंक द्वारा इस राशि के बाउचर तैयार कर आवश्यक लेखा प्रविष्टियां की जावेगी।

9.4 इसके उपरान्त शीर्ष बैंक द्वारा यह राशि सम्बन्धित सहकारी बैंकों को हस्तांतरित की जावेगी एवं बाउचर तैयार कर आवश्यक लेखा प्रविष्टियां की जावेगी।

9.5 सहकारी बैंक द्वारा अपने शीर्ष बैंक से ऋण माफी राशि से सम्बन्धित एडवाइज प्राप्त होने पर बाउचर तैयार कर आवश्यक लेखा प्रविष्टियां की जावेगी।

9.6 अब सम्बन्धित सहकारी बैंक द्वारा यह राशि अपनी शाखा को प्रेषित की जावेगी एवं बाउचर तैयार कर आवश्यक लेखा प्रविष्टियां की जावेगी।

9.7 सहकारी बैंक की शाखा द्वारा पात्र किसानों के ऋण खातों में ऋण माफी की राशि को क्रेडिट किया जावेगा तथा अपने प्रधान कार्यालय के खातें को डेबिट किया जावेगा एवं क्लेम प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किये जावेंगे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
सचिवालय, जयपुर

9.8 प्रधान कार्यालय द्वारा सभी शाखाओं से क्लेम प्राप्त कर इकजाई क्लेम अपने शीर्ष बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे।

9.9 शीर्ष बैंक द्वारा सभी सहकारी बैंकों से क्लेम प्राप्त कर इन्हें इकजाई कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगे।

10. ऋण माफी एवं रहनमुक्ति प्रमाण पत्र :–

10.1 ऋण माफी एवं रहनमुक्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होंगे।

10.2 सहकारी बैंक द्वारा इन ऋण माफी प्रमाण पत्रों को शिविर आयोजित कर सम्बन्धित कृषक को वितरित किये जावेंगे तथा उनसे ऋण माफी प्रमाण पत्र की पावती ली जावेगी।

11. क्लेम प्रपत्र :–

11.1 सहकारी बैंक एवं शाखा द्वारा ऋण माफी के क्लेम (**परिशिष्ट – 4)** तैयार कर प्रेषित किये जावेंगे। साथ ही बिंदु सं. 6.3 पर सत्यापित ऋणीवार सूची भी प्रेषित की जावेगी। सभी सहकारी बैंकों से क्लेम के साथ प्राप्त ऋणीवार सूची शीर्ष बैंक स्तर पर सुरक्षित रखी जावेगी। इनकी एक–एक सूची सम्बन्धित शाखा एवं सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय स्तर पर भी सुरक्षित रखी जावेगी।

12. सहकारी बैंक के दायित्व :–

12.1 निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई पात्र कृषकों की सूची एवं प्रत्येक कृषक के सम्बन्ध में ऋण विवरण एवं ऋण माफी की राशि की सम्यता एवं विश्वसनीयता के लिये सहकारी बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

12.2 इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर सहकारी बैंक के सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम अंकित होंगे।

13. लेखा परीक्षा :–

13.1 प्रत्येक सहकारी बैंक जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है, उसकी लेखा बहियाँ (शाखाओं के स्तर पर अनुरक्षित लेखा बहियों सहित) निर्धारण कार्यविधि के अनुरूप लेखा परीक्षा के अधीन होंगी।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

13.2 योजना के बिंदु सं. 6.3 के अनुसार सत्यापित सूची की शत प्रतिशत जांच अंकेक्षक से करवाई जावेगी। अंकेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि क्लेम में इस योजना के सभी दिशा–निर्देशों की पालना की गई है। सहकारी बैंक द्वारा इन अंकेक्षित सूचियों को ऋण माफी क्लेम के साथ शीर्ष बैंक भिजवाई जावेगी।

13.3 किसी ऋणदाता संस्था के मामलें में या उसकी एक से अधिक शाखाओं की विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश राज्य सरकार दे सकेगी, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना प्रकरण विशेष में आवश्यक है।

13.4 किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर उक्त कालावधि के लिये रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 एंव नियम 2003 के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षा करवाई जा सकेगी।

14. प्रचार प्रसार :–

14.1 इस योजना में शामिल सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

14.2 इस योजना की एक प्रति सहकारी विभाग एवं दोनों शीर्ष सहकारी बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

15. अनुप्रर्वतन :–

15.1 योजना के कार्यान्वयन के अनुप्रवर्तन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाएगा।

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित	– अध्यक्ष
(ii) प्रमुख शासन सचिव, राजस्व	– सदस्य
(iii) प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता	– सदस्य
(iv) प्रमुख शासन सचिव, आयोजना/DoIT&C	– सदस्य
(v) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	– सदस्य
(vi) अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय, सहकारी समितियां	– सदस्य
(vii) प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी बैंक	– सदस्य
(viii) प्रबन्ध निदेशक, राज.रा.सह.भू.वि. बैंक लि.	– सदस्य
(ix) अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बैंकिंग, सहकारी समितियां	– सदस्य
(x) अतिरिक्त रजिस्ट्रार, मोनेटरिंग, सहकारी समितियां	– सदस्य सचिव

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

16. व्याख्या एवं कठिनाइयों का निराकरण :–

16.1 इस योजना में किसी पैराग्राफ या इस योजना के अन्तर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य सरकार द्वारा संदेह का समाधान किया जायेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

16.2 योजना क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यकता होने पर रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से पृथक से दिशानिर्देश जारी किये जा सकेंगे।

17. ऋण माफी राशि का बैंकों को भुगतान :–

17.1 इस योजना का उद्देश्य पात्र कृषकों के अविधपार ऋण माफ करना एवं उनकी भूमि रहनमुक्त करना है। चूंकि बैंकों द्वारा रहनमुक्ति खातें में बकाया राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी की जाती है, अतः योजना के क्रियान्वयन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनुमानित ऋण माफी राशि का भुगतान शीर्ष बैंकों के निजी निक्षेप खातें में किया जावेगा।

17.2 ऋण माफी योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के उपरान्त शेष रही राशि राज्य सरकार को पुनः लौटा दी जावेगी अथवा आधिक्य राशि राज्य सरकार द्वारा इन बैंकों को उपलब्ध करवा दी जावेगी।

17.3 सहकारी बैंक द्वारा अपात्र व्यक्तियों एवं योजना के दायरे से बाहर के व्यक्तियों की ऋण माफी की जाती है तो वह राशि राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगी और गलती से कर दी गई है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।

18. यह योजना वित्त विभाग राजस्थान सरकार के अनुमोदन व सहमति उपरान्त जारी की जाती है।

*****

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Name of PLDB/CCB -

Name of Branch -

परिशिष्ट – 1

Details of Overdue Cases of LT/MT Agriculture against Small & Marginal Farmer at PLDB / CCB Level as on 30.11.2018

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Name of Farmer	Father / Husband Name	Sex (M / F)	Address			Caste	Category of Farmer (SC/ST/ OBC/Gen)	Membership No.	Aadhar No.	Bhamasah No.	Mobile No.	Land Area as per Bank Record		Purpose of Loan	Loan A/c No.
				District	Block	Village / Area							In Hectare	In Bigha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
	TOTAL															

Term of Loan	Sanction Date	Particulars of Loan A/c as on 30.11.2018					
		Overdue			Total Principal O/s in Loan Account	Total Interest O/s including penalties	Total O/s including Int. / P.I.
		OD Principal	OD Interest with penalties	Total OD			
18	19	20	21	22 (=20+21)	23	24	25 (=23+24)
	TOTAL						

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

योजना की परिधि/लाभ से बाहर संवर्ग की सूची (Negative List)

1. वर्तमान व पूर्व मंत्रिमण्डल के सदस्य (भारत/राज्य सरकार)।
2. वर्तमान व पूर्व सांसद एवं विधायक।
3. आयकरदाता ऋणी।
4. राज्य व केन्द्र सरकार के वेतनभोगी अधिकारी व कर्मचारी
5. नियमित पेन्शन धारक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी (भारत/राज्य सरकार)
6. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों में नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें केबिनेट व राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हैं।
7. राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य
8. सभी बैंकों यथा सार्वजनिक, प्राईवेट, सहकारी बैंक इत्यादि के पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेंशनर्स।
9. राज्य एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेशंनर्स।
10. पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक एवं पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान और जिला परिषद के वर्तमान जिला प्रमुख।
11. सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पूर्णकालिक कार्मिक।
12. राज्य सरकार के विभागों व उक्त वर्णित सभी संस्थानों/संस्थाओं में कार्यरत संविदाकर्मी।
13. एक से अधिक बैंकों से ऋण प्राप्तकर्ता को, एक वित्तदात्री संस्था से ही ऋण माफी का लाभ देय होगा।

उक्त वर्णित संवर्गों के आश्रितों को भी योजनान्तर्गत देय लाभ के पात्र नहीं होंगे।

परंतुक

1. ईपीएफ व्यवस्थान्र्गत पेंशन भोगी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र समझे जावेगे।
2. वेतन आधारित नियमित पेंशन भोगी संवर्ग योजनान्तर्गत देय लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. प्रधान एवं जिला प्रमुख जिन्हें मानदेय भत्ता अनुज्ञेय है, योजनान्तर्गत लाभ के लिये अपात्र होगें। सरपंच, वार्डपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
4. पूर्णकालीन कार्मिक से तात्पर्य नियमित/चयनित वेतन श्रृंखला में वेतन आहरण करने वाले कार्मिक से है। ऐसे कार्मिक योजनान्तर्गत अपात्र होगें।
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र होंगे।
6. शहीद वीरांगना, सीमा सुरक्षा सेवाकाल के दौरान सुरक्षा कार्मिक के आकस्मिक निधन पर आश्रित विधवा योजनान्तर्गत लाभ की हकदार होंगी।
7. मृतक व पलायन सदस्य कृषक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ऋण माफी का लाभ दिया जावेगा।
8. पुराने ऋण प्रकरण, जिनमें समिति स्तर पर भूमि रिकार्ड/MCL रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, पात्र नहीं होंगे।
9. ऋण माफी के लाभ हेतु पात्रता की पुष्टि के लिए प्रत्येक कृषक से शपथ–पत्र (Online) प्राप्त किया जाना होगा। शपथ पत्र प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से उन्मुक्त होगा एवं मिथ्यापूर्ण कथन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

***

शपथ–पत्र

(सादे कागज पर लाभांवित कृषक से लिया जावे)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....सशपथ बयान करता/करती हूँ कि मैं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति लि..... का सदस्य हूँ और इस बैक/समिति में मेरा मध्यकालीन/दीर्घकालीन/अल्पकालीन सहकारी ऋण खाता संख्या.....है। यह बैक/समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक .....की शाखा.....के कार्यक्षेत्र में आती है। मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि निम्नांकित बिन्दु संख्या 1 से 13 में उल्लेखित संवर्ग में सम्मिलित नहीं हूँ–

1. वर्तमान व पूर्व मंत्रीमण्डल का सदस्य (भारत/राज्य सरकार)।
2. वर्तमान व पूर्व सांसद एवं विधायक।
3. आयकरदाता ऋणी।
4. राज्य व केन्द्र सरकार का वेतनभोगी अधिकारी/कर्मचारी।
5. नियमित पेंशनधारक, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (भारत/राज्य सरकार)।
6. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों में नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें केबिनेट में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है।
7. राज्य सरकार के किसी आयोग में अध्यक्ष/सदस्य के पद नियुक्त।
8. किसी भी बैंक यथा सार्वजनिक, प्राइवेट, सहकारी बैंक इत्यादि का पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेंशनर।
9. राज्य एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्था एवं सार्वजनिक उपक्रम में पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेंशनर।
10. पंचायतीराज संस्था का कार्मिक।
11. पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख के पद को वर्तमान में धारित।
12. सहकारी क्षेत्र की संस्था का पूर्णकालिक कार्मिक।
13. राज्य सरकार के विभागों व उक्त वर्णित सभी संस्थानों/संस्थाओं में कार्यरत संविदाकर्मी।
14. बिन्दु संख्या 1 से 13 पर अंकित संवर्ग का आश्रित।

मैं यह भी सशपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 13 में से कोई तथ्य छिपाकर या मिथ्या तौर पर इंगित कर योजनान्तर्गत ऋण माफी का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है तो मैं इस गलतपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई ऋण माफी राशि को वापस लौटाने के लिए पाबन्द रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी..... .....सत्यापित करता/करती हूँ कि स शपथ–पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 13 में उल्लेखित संवर्ग में सम्मिलित नहीं हूँ। यह जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को मेरे द्वारा किया गया है।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शपथग्रहिता

बैंक का नाम :–

परिशिष्ट – 4

सहकारी मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2019
के अन्तर्गत राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु दावा प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि./केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. ..... द्वारा योजनानुसार कमेटी की बैठक आयोजित कर ली गई है तथा शिविरों का आयोजन किया जाकर निम्नानुसार केसेज् में ऋण माफी का लाभ दे दिया गया है एवं लेखा पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जा चुका है। प्रदत्त ऋण माफी का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 30.11.2018 को अवधिपार कृषि ऋण खातों का विवरण							प्रदत्त ऋण माफी का विवरण				
		संख्या	अवधिपार मूल	अवधिपार ब्याज	शास्तियां	दिनांक 30.11.2018 तक का चालू ब्याज	अनावधिपार मूल	कुल बकाया	संख्या	मूलधन	ब्याज	शास्तियां	कुल
1	लघु काश्तकार												
2	सीमान्त काश्तकार												
3	कुल												
कुल में से अनुसूचित जाति सदस्य													
कुल में से अनुसूचित जनजाति सदस्य													
कुल में से महिला सदस्य	अनु. जाति वर्ग की महिला												
	अनु. जनजाति वर्ग की महिला												
	सामान्य/ओबीसी वर्ग की महिला												

उक्त माफी की राशि की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि कर ली गई है। लाभान्वित ऋणियों की सूची संलग्न कर अनुरोध है कि कृपया राज्य सरकार को ऋण माफी के क्लेम प्रेषित करने का श्रम करावें।

सचिव/प्रबंध निदेशक, बैंक

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर